उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–38/ix/11/2009
देहरादून दिनांक 03 फरवरी, 2009

अधिसूचना संख्या–38/ix/2009 दिनांक 03 फरवरी, 2009 को प्रख्यापित "उत्तराखण्ड परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा नियमावली, 2009 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
5– निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 परिवहन मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
6– मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल।
7– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
8– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम।
10– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की (हरिद्वार) को नियमावली की हिन्दी, अंग्रेजी प्रतियों को संलग्न करते हुये इस निवेदन के साथ प्रेषित कि कृपया नियमावली को असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–क में मुद्रित कराकर इसकी 100 प्रतियां परिवहन अनुभाग–1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(विनोद शर्मा)
अपर सचिव।

AM/

उत्तराखण्ड शासन,
परिवहन अनुभाग,
संख्या– 38/ix/11/2009
देहरादून दिनांक 03 फरवरी, 2009

अधिसूचना

प्रकीर्ण

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा इस विषय पर समुक्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिकमण करके राज्यपाल उत्तराखण्ड परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तिओं की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा नियमावली, 2009

भाग–एक सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा नियमावली, 2009 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2. उत्तराखण्ड परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा एक राज्य सेवा है। जिसमें समूह "ग" के पद सम्मिलित है।

परिभाषाएं 3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से " परिवहन आयुक्त" अभिप्रेत है;

(ख) "भारत का नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है; जो ' भारत का संविधान ' के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय

(ग) "आयोग" से लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड अभिप्रेत है

(घ) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है ;

R.I.Service rules

(ङ.) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है ;

(च) 'राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है ;

(छ) 'सेवा का सदस्य' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ज) "सेवा" से उत्तराखण्ड परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा अभिप्रेत है ;

(झ) "परिवहन आयुक्त" से उत्तराखण्ड परिवहन आयुक्त अभिप्रेत है ;

(ञ) "भर्ती का वर्ष' से किसी कलेण्डर वर्ष में पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है ;

भाग–दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक कि उपनियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिया जायं, निम्नलिखित होगी:–

क्रम संख्या	पदनाम	पदो की संख्या		कुल पद
		स्थायी	अस्थायी	
(क)	संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	03	01	04
(ख)	सहायक संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	07	08	15

परन्तु––

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है

या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा.

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी अथवा अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें।

भाग–तीन–भर्ती

भर्ती का स्रोत

5 सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदो पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:–

(एक) संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	(क) पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
	(ख) पचास प्रतिशत ऐसे स्थायी सहायक संभागीय निरीक्षकों (प्राविधिक) में से, जिन्होनें भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को इस रूप में पांच वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो. आयोग के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।
(दो) सहायक संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

आरक्षण–

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार–अर्हताएं

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी होए जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 01 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तानए बर्माए श्रीलंका या केनिया, उगाण्डा और युनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रव्रजन किया हो ;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहियेए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो ;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले ;

परन्तु यह और भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी–ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हतायें

8. सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिएः–

(एक) संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक)।	(क) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड की हाईस्कूल परीक्षा (विज्ञान विषय सहित) या सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (ख) राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त यांत्रिक (मैकेनिकल) या आटोमोबाईल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिये अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। (ग) किसी प्रतिष्ठित वृहत आटोमोबाईल कार्यशाला में, जहां डीजल तथा पेट्रोल इंजनयुक्त हल्के एवं भारी वाहनों (यात्री वाहनों सहित) की मरम्मत आदि से सम्बन्धित कार्य होता हो, कार्य करने का न्यूनतम पांच वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिये। (घ) अभ्यर्थी, मोटर साईकिल माल वाहन एवं यात्री वाहन/भारी मोटर वाहन चलाने का लाइसेन्स धारक हो।

		(ङ) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का सम्यक ज्ञान होना चाहिए।
(दो)	सहायक संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक)।	(क) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड की हाईस्कूल परीक्षा (विज्ञान विषय सहित) या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अन्य परीक्षा उर्तीण होना चाहिये । (ख) राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त यांत्रिक (मैकनिकल) या आटोमोबाईल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिये अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। (ग) किसी प्रतिष्ठित वृहत कार्यशाला में, जहां डीजल तथा पेट्रोल इंजनयुक्त हल्के एंव भारी वाहनों (यात्री वाहनों सहित) की मरम्मत आदि से सम्बन्धित कार्य होता हों, कार्य करने का न्यूनतम तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिये। (घ) अभ्यर्थी, मोटर साईकिल, माल वाहन एंव यात्री वाहन

चलाने का लाइसेन्स धारक हो।

(ड.) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का सम्यक ज्ञान होना चाहिए।

अधिमानी अर्हतायें

9. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने–

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

10. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, जिस कैलेण्डर वर्ष में आयोग द्वारा पद विज्ञापित किये जाते हैं, उस वर्ष की पहली जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिये ;

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी:–संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या किसी निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगें। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12 सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र

नहीं होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो ;

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रर्वतन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता

13 किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित करने के पूर्व, उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–दो, भाग–तीन के अध्याय तीन में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाए गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें ;

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग–पांच–भर्ती की प्रकिया

रिक्तियों का अवधारण

14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

सीधी भर्ती की प्रकिया

15. (1) आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे, जो आयोग के सचिव से भुगतान किये जाने पर प्राप्त किये जा सकते हैं।

(2) किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा

जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो।

(3) आयोग, लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्ध करने के पश्चात, नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, साक्षात्कार के लिए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को बुलायेगा, जितने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित मानक तक पहुंच सके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक, लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त किये गये अंको में जोड़े जायेंगे।

(4) आयोग, अभ्यर्थियों की प्रवीणता के कम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंको के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की सिफारिश करेगा जितने वह नियुक्ति के लिये उचित समझे। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंको का कुल योग बराबर हो तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी। आयोग यह सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

टिप्पणी–प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम और नियम ऐसे होंगे, जो आयोग द्वारा समय–समय पर सरकार के पूर्वानुमोदन से विहित किये जायें।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया

16. पदोन्नति द्वारा भर्ती, समय–समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रकिया) नियमावली, 2003 के अनुसार, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।

संयुक्त

17. यदि नियुक्ति के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती तथा पदोन्नति दोनों ही

चयन सूची

प्रकार से की जाती है तो अभ्यर्थियों के नाम नियम 15 और 16 के अधीन तैयार की गई सूचियों से लेकर एक संयुक्त चयन सूची इस प्रकार तैयार की जाएगी जिससे विहित प्रतिशत बना रहें। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग–छः–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

18. (1) मौलिक रिक्तियां होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उस क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में हो।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी और स्थानापन्न रिक्तियों में भी उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों से नियुक्तियां कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्तियों में, इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से, नियुक्तियां कर सकता है।

परिवीक्षा

19. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक की अवधि बढ़ायी जाय ;

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में वह अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद

पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लियेए संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा की गणना करने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

20. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि—

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाय ,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय ,

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है,

(घ) उसने विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो, और

(ङ) उसने विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो।

ज्येष्ठता

21. एतद् पश्चात की गई व्यवस्था के अतिरिक्त किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता, उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

परन्तु–

(एक) किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो यथास्थिति, आयोग या चयन समिति द्वारा अवधारित की जाय ;

(दो) सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो उनके उस संवर्ग में थी जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है ;

परन्तु यह कि :–

(क) सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर वह बिना विधिमान्य कारण से कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारणों की विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का निश्चय अन्तिम होगा।

(ख) जहां नियुक्ति आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय, जब से किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति की जाती है, वहां वह दिनांक मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा, अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।

भाग–सात–वेतन इत्यादि

वेतनमान

22. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय अनुमन्य वेतनमान " परिशिष्ट " में दिये गये हैं।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

23. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण, जहां विहित हो, पूरा कर लिया हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो ;

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्वि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा होए परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा ;

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्वि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकारी सेवा में स्थायी हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, राज्य के कार्य कलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू , सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग–आठ–अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

24. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

25. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा शर्तो में शिथिलता

26 यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रर्वतन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह, उस मामले में

लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह उस मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है :

परन्तु जहां नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहां उसके उपबंधों को अभिमुक्त या शिथिल करने के पूर्व आयोग का परामर्श आवश्यक होगा।

व्यावृत्ति 27. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

(डा0 उमाकान्त पवांर)
सचिव

परिशिष्ट

क्रम संख्या	पद का नाम	वेतनमान (रूपये में)	पदो की संख्या		
			स्थायी	अस्थायी	योग
1–	संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	9300–34800+ग्रेड पे 4200	03	01	04
2	सहायक संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	9300–34800+ग्रेड पे 4200	07	08	15

R.I.Service rules

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या-180/ix/78/2010
देहरादूनः दिनांक 20 मई 2010

अधिसूचना

राज्यपाल, " भारत का संविधान " के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा नियमावली, 2009 में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनातें हैं:–

उत्तराखण्ड परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2010

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2010 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3 के खण्ड (छ) का प्रतिस्थापन

2. उत्तराखण्ड परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2009 के नियम–3 के खण्ड (छ) में वर्तमान स्तम्भ–1 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपबन्ध रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
3. (छ) ' सेवा का सदस्य ' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग मे किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।	3. (छ) ' सेवा का सदस्य ' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग मे किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त अथवा मौलिक रूप से नियुक्ति के लिये अभिकल्पित व्यक्ति अभिप्रेत है।

नियन 18 का प्रतिस्थापन

3 मूल नियमावली में नीचें स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 18 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियुक्ति 18. (1) मौलिक रिक्तियां होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ उस क्रम में करेगा, जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में हो,	नियुक्ति 18. (1) उपनियम–2 के प्राविधानों के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ उस क्रम में करेगा, जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में हो,

17 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में हों।

परन्तु, वह व्यक्ति जो, इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व सम्बन्धित पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त था तथा जो धारित पद के लिये नियम 8 (एक) में निर्धारित अर्हता पूर्ण करता है, को सम्बन्धित पद पर इस नियमावली के प्रारम्भ से सीधी भर्ती के कोटे में मौलिक रूप से नियुक्त माना जाएगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी और स्थानापन्न रिक्तियों में भी उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों से नियुक्तियाँ कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो वह ऐसी रिक्तियों में, इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से, नियुक्तियाँ कर सकता है।

(2) जहां किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों से किया जाना है, नियमित नियुक्ति तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि दोनों श्रेणियों से चयन, नियम 17 के आधार पर तैयार एक संयुक्त सूची से न कर लिया जाए।

(3) यदि किसी एक चयन में एक से अधिक नियुक्ति आदेश निर्गत किया जाता है, तो यथास्थिति जिस संवर्ग से पदोन्नति हो रही हो, में से चयन में निर्धारित वरिष्ठताकम में व्यक्तियों के नामोल्लेख सहित एक संयुक्त आदेश भी निर्गत किया जाएगा। यदि नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों से की जा रही है, तो नियम 17 के अनुसार नामों का निर्धारण किया जायेगा।

आज्ञा से,

(एस0 रामास्वामी)
सचिव।

संख्या–/80/ix/78/2010, तददिनांकित।

प्रतिलिपिः–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एंव लेखन सामग्री रुड़की, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना का प्रकाशन असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) में कराने का कष्ट करें तथा सम्बन्धित गजट की 50 मुद्रित प्रतियां अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
उप सचिव।

संख्या–/80/ix/78/2010, तददिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री, उत्तराखण्ड।
3– मण्डलायुक्त, कुमाऊ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
4– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– गार्ड फाइल/एन0आई0सी0।

कार्यालय परिवहन आयुक्त
उत्तराखण्ड, देहरादून
01 JUN 2010
संख्या 2028

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
उप सचिव।

AsH TC

एस. रामास्वामी
परिवहन आयुक्त
उत्तराखण्ड

अधिप्राप्ति

4/06/10

सुनीता सिंह
सहायक परिवहन आयुक्त
उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या-261 / ix / 78 / 2010
देहरादून: दिनांक 10 जून, 2010

शुद्धिपत्र

अधिसूचना संख्या–180 / ix / 78 / 2010 दिनांक 20 मई, 2010 द्वारा निर्गत उत्तराखण्ड परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2010 के नियम 3 में मूल नियमावली के नियम 18 के उपनियम (2) को निम्नवत पढ़ा जाय –

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(2) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी और स्थानापन्न रिक्तियों में भी उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों से नियुक्तियाँ कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो वह ऐसी रिक्तियों में, इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से, नियुक्तियाँ कर सकता है।	(2) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी और स्थानापन्न रिक्तियों में भी उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों से नियुक्तियाँ कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो वह ऐसी रिक्तियों में, इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से, नियुक्तियाँ कर सकता है। जहां किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों से किया जाना है, नियमित नियुक्ति तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि दोनों श्रेणियों से चयन, नियम 17 के आधार पर तैयार एक संयुक्त सूची से न कर लिया जाए।

2– उत्तराखण्ड परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा(सशोधन) नियमावली, 2010 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाएगा तथा उक्त संशोधन उत्तराखण्ड परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा(संशोधन) नियमावली, 2010 के प्रवृत्त होने की तिथि से प्रभावी माना जाएगा।

आज्ञा से,
(एस० रामास्वामी)
सचिव।

कार्यालय परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड, देहरादून
16 JUN 2010
संख्या.........

155

संख्या–261(1)/ix/78/2010, तददिनांकित।

प्रतिलिपिः–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एंव लेखन सामग्री रुड़की, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना/शुद्धिपत्र(हिन्दी व अंग्रेजी) का प्रकाशन असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) में कराने का कष्ट करें तथा सम्बन्धित गजट की 50 मुद्रित प्रतियां अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(विनोद शर्मा)
अपर सचिव।

संख्या–261(1)/ix/78/2010, तददिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री, उत्तराखण्ड।
3– मण्डलायुक्त, कुमाऊ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
4– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– गार्ड फाइल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(विनोद शर्मा)
अपर सचिव।